

रामत्रिवाण / रामजीलाल

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
अलवर [राज०]

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही	
27.8.18	<p>पत्रावली केबा हुई। सविस्तर रिपोर्ट डा (अवलोकन विभा) (अपील वर्क रजिस्टार की आवे। अपील के साथ संलग्न स्वागत पत्रिका - पत्र पर अपीलान्त (अभिग्राहक की पुना नया पत्रावली डा (अवलोकन विभा गया। पत्रावली के (अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील धारकितु निर्णय के विकल्प केबा की गई है तथा (अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपेक्षात कायमी के आदेबा दिये जाये हैं। अपीलार्थी डा वचन है कि हुन्हे पुना नही गया है। -युंकि पत्रावली डा निर्णय (अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाता है। अतः उपरण नहत न्यायालय सहायतु कलस्टर एवं कार्यपालतु मजिस्ट्रेट धारण के परिशिष्टित (Remmand) करते हुत (अधीनस्थ न्यायालय के अपीलार्थी के पुने विभा (अधीनस्थ निर्णय धारित नही करने हेतु निर्देशित किया जाता है। पत्रावली केवल शुमार होकर, नम्बर से कम की आवे, बाद नवमील जाहना कारिबल दफ्तार की आवे।</p>	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर